

एम.जे.सी क्रमांक 06/2010

अंतरिम कार्यवाही दिनांक 31-03-2018

अभियुक्त छोटे उर्फ गजेंद्र सिंह की ओर से श्री के.सी. उपाध्याय एड. ने संपूर्ण अर्थदंड की राशि जमा कराये जाने हेतु प्रकरण आज सुनवाई में लिये जाने हेतु पेश किया। बाद विचार दर्शित आधार पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदक/राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर ए0जी0पी0 उप0।

अभियुक्त की ओर से श्री के0सी0 उपाध्याय एड. उप0।

अभियुक्त की ओर से संपूर्ण अर्थदंड की राशि 2000/- रुपये रसीद क्रमांक 11 बुक क्रमांक 11232 पर जमा कराई गई।

प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध विगत आदेश के पालन में गिरफ्तारी/जमानती वारंट जारी होने की दशा में अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये तथा प्रकरण में पूर्व नियत पेशी दिनांक 18.05.2018 निरस्त की जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड